

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 428]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2016—आश्विन 29, शक 1938

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

क्रमांक—डी—15—45/2016/14—3 मध्यप्रदेश कृषि उपज. मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे कि राज्य सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (छह) के साथ पठित धारा 32—क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके कि इनसे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से तीस दिवस की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् उक्त प्रारूप नियमों पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उसके पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप-नियम

अध्याय-एक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— इन नियमों का संक्षिप्त नाम “मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (ऑन-लाइन व्यापार एवं ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति) नियम, 2016” है और यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं.— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —
 - (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (कमांक 24 सन् 1973) ;
 - (ख) “अपर संचालक” से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन नियुक्त मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का अपर संचालक;
 - (ग) “परखना” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट नियत मापदण्डों के विरुद्ध अधिसूचित कृषि उपज का गुणात्मक और/या पारिमाणात्मक विश्लेषण;
 - (घ) “प्राधिकारी या अधिकारी” से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा, अधिनियम के अधीन ऑन-लाइन व्यापार की अनुज्ञप्ति मंजूर या नवीकृत करने के लिए, नियुक्त किया जाए;
 - (ङ) “बोर्ड” से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड;
 - (च) “वाणिज्यिक संव्यवहार” से अभिप्रेत है, व्यापारियों द्वारा मण्डी प्रांगण के भीतर या मण्डी प्रांगण के बाहर, मण्डी क्षेत्र के भीतर या मण्डी क्षेत्र के बाहर, राज्य के भीतर या राज्य के बाहर कृषि उपज के विक्रय, क्रय, आनुषंगिक विक्रय, क्रय हेतु प्रसंस्करण या भण्डारण या उपभोक्ताओं को विक्रय के लिए किया गया संव्यवहार जिसमें राज्य की किसी मण्डी समिति को मण्डी फीस का भुगतान पहले से ही कर दिया गया हो और मण्डी फीस के भुगतान के संबंध में जानकारी विहित प्ररूप में सम्बन्धित मण्डी समिति को प्रस्तुत की जा चुकी हो;
 - (छ) “उप संचालक” से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन नियुक्त मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का उप संचालक;
 - (ज) “संचालक” से अभिप्रेत है, संचालक और इसमें सम्मिलित हैं अधिनियम के अधीन नियुक्त मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का “प्रबंध संचालक”;

- (झ) "इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म" (ई-प्लेटफार्म) से अभिप्रेत है, कोई निगमित सत्ता, जो अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ज) में यथापरिभाषित मण्डी कृत्यकारी के रूप में वाद चला सके और उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सके और जो ई-नीलामी (ई-आक्शन) सहित ई-व्यापार (ई-ट्रेडिंग) करने में प्रवृत्त है और जो अधिसूचित कृषि उत्पादों के मूल्य का पता लगाने के लिए अधिनियम की धारा 37 के उपबंधों के अनुसार मण्डी कृत्यकारियों के लिए अपनी सहयोगी सेवाएं जैसे परखना, भण्डारण और लॉजिस्टिक्स, डेटा केन्द्र सेवा (डेटा सेण्टर सर्विस), साफ्टवेयर सेवाएं आदि उपलब्ध करा रही है ;
- (ञ) "ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति" से अभिप्रेत है, अधिसूचित कृषि उपज के मूल्य का पता लगाने के लिए ई-नीलाम सहित ई व्यापार तथा उसकी सहायक सेवाओं के संचालन में लगे हुए किसी कृत्यकारी को अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 32-क के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति;
- (ट) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
- (ठ) "संयुक्त संचालक" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन नियुक्त मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का संयुक्त संचालक;
- (ड) "मण्डी समिति" से अभिप्रेत हैं, धारा 11 के अधीन गठित मण्डी समिति जिसमें घोषित विशिष्ट मण्डी क्षेत्र में या राज्य के भीतर, कृषि उपज के विपणन के नियन्त्रण के लिये या धारा 32-क के अधीन ऑन-लाईन व्यापार करने वाले अनुज्ञप्ति धारक मण्डी कृत्यकारी के लिये सम्पूर्ण शक्तियां निहित की गई हैं;
- (ढ) "कदाचार" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार, प्रबन्ध संचालक, कलक्टर या प्राधिकृत अधिकारी, उपसंचालक, मण्डी समिति द्वारा भेजी गई सूचना को स्वेच्छापूर्वक न लेना या लेने से इन्कार करना या बोर्ड, प्रबंध संचालक या प्राधिकृत अधिकारी, मण्डी समिति द्वारा जारी आदेश/निर्देश की अवज्ञा करना या वांछित

- जानकारी समय सीमा में प्रस्तुत न करना या अपूर्ण या गलत जानकारी प्रस्तुत करना;
- (ण) "ऑन लाईन मण्डी" से अभिप्रेत है, कोई मण्डी, जहां या तो मण्डी समिति और या बोर्ड के ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपलब्ध कराये गये कोई ई-प्लेटफार्म पर, अधिसूचित कृषि उपज का व्यापार होता है;
- (त) "ऑन लाईन व्यापार" से अभिप्रेत है, निम्नलिखित के अधीन विक्रेता और अनुज्ञप्तिधारी क्रेता के बीच ई-प्लेटफार्म के माध्यम से अधिसूचित कृषि उपज का व्यापार ;
- (1) ऐसे समस्त व्यापार, जो पूर्व परिभाषित और प्रदर्शित विशिष्टियों पर आधारित होंगे जिसमें गुणवत्ता संबंधी मापदण्ड, ऐसे मापदण्डों में भिन्नता के लिये छूट या प्रीमियम, तौल, भण्डारण के निर्बन्धन व शर्तें, प्रभारों का प्रदाय और भुगतान और उगाही आदि सम्मिलित है ;
- (2) ऐसे समस्त व्यापार का दिन की समाप्ति पर, परिणाम, आवश्यक रूप से तौल, क्रेता और/या उसके प्रतिनिधि को भौतिक प्रदाय और उपज का भुगतान होगा;
- (3) स्थितियों को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं किया जाएगा।
- (थ) "ऑन लाईन व्यापार अनुज्ञप्ति" से अभिप्रेत है, धारा 32-क की उपधारा(2) के अधीन अधिसूचित कृषि उपज के व्यापार के लिये अधिसूचित प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्ति;
- (द) "सचिव" से अभिप्रेत है, मण्डी समिति का सचिव;
- (ध) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की कोई धारा;
- (न) "नमूना लेना" से अभिप्रेत है, अधिसूचित कृषि उत्पादों के ढेर (समूह) में से जांच नमूना लेने का कोई कार्य;
- (प) "संव्यवहार प्रभार" से अभिप्रेत है, इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म के माध्यम से बेची गई अधिसूचित कृषि वस्तु के मूल्य पर ऐसी दर से प्रत्येक सौ रूपए के लिए न्यूनतम पांच पैसे और अधिकतम

बीस पैसे की दर के अध्यक्षीन रहते हुए, जैसी कि समय-समय पर बोर्ड द्वारा नियत की जाए, आन लाइन क्रेता से वसूले गए प्रभार;

(फ) "प्रांगण" से अभिप्रेत है, राज्य में मण्डी समितियों के सभी अधिसूचित क्षेत्र तथा मण्डी प्रांगण।

- (2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होगा जैसा कि उनके लिए अधिनियम में दिया गया है।

अध्याय-दो

3. प्राधिकारी.-

(1) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक को, एतद्वारा, ऑनलाइन व्यापार अनुज्ञप्ति की ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति मंजूर करने, नवीकृत करने या मंजूर करने से इंकार करने के प्रयोजन के लिये अधिसूचित किया जाता है और उसे अपना प्राधिकार, अधीनस्थ अधिकारियों को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

(2) कोई व्यक्ति जो राज्य के प्रांगण में अधिनियम की धारा 32-क के अधीन ई-प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए अधिसूचित कृषि उपज के व्यापारी के रूप में परिचालन करना चाहता है और या मूल्य का पता लगाने, हिसाब-किताब सामग्री, व्यापार पूर्ति तथा ई-प्लेटफार्म के माध्यम से आनलाइन निधि समाधान कराने की सेवा उपलब्ध कराना चाहता है, उसे प्राधिकारी/अधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त करना होगी।

अध्याय-तीन

ऑन-लाइन व्यापार अनुज्ञप्ति जारी करना।

4. राज्य के प्रांगण में परिचालन हेतु व्यापार अनुज्ञप्ति की मंजूरी.-

(1) ऑन लाइन व्यापार के इच्छुक व्यक्ति को नियम 3 के उप नियम (2) के अनुसार, प्रबंध संचालक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को, प्ररूप 'क' में रूपये 500/- (पाँच सौ केवल) प्रतिवर्ष की फीस के साथ उक्त प्ररूप में

- उल्लेखित जानकारी सहित आवेदन करना होगा। यदि आवेदक प्रदेश में किसी कृषि उपज मण्डी समिति (ए पी एम सी) का वैध अनुज्ञप्तिधारी है, तो आवेदन के साथ जमा की जाने वाली फीस रुपये 100/- (एक सौ केवल) प्रतिवर्ष होगी और आवेदन प्ररूप 'क-1' में प्रस्तुत करना होगा।
- (2) आवेदक को, आवेदन के साथ उसके द्वारा एक दिन में अधिकतम आशयित क्रय मूल्य की, बैंक प्रत्याभूति (गारण्टी) के रूप में प्रतिभूति प्रस्तुत करनी होगी, जो राष्ट्रीयकृत बैंक से आहरित और बैंक की भोपाल शाखा, मध्यप्रदेश पर मान्य और प्रस्तुति योग्य हो।
 - (3) प्रबंध संचालक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, वांछित जानकारी, दस्तावेज और फीस के साथ सब प्रकार से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर, आवेदन प्राप्त होने से सात कार्य दिवस के भीतर, आवेदक को ई-प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए राज्य में, प्रांगण में, व्यापार कार्यान्वित करने के लिए प्ररूप 'ख' में अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा। ई-प्लेटफार्म के माध्यम से ई-नीलाम में भाग लेने के लिये ऑन लाइन व्यापार अनुज्ञप्ति आवश्यक होगी।
 - (4) इस प्रकार प्राप्त अनुज्ञप्ति फीस, राज्य विपणन विकास निधि में जमा की जाएगी।
 - (5) अनुज्ञप्तिधारी को, जिस मण्डी क्षेत्र में कृषि उपज क्रय की गई है, उस पर देय मण्डी फीस और अन्य उपकर का भुगतान अधिनियम के प्रावधानों, उपविधियों और राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार संबंधित मण्डी समिति को करना होगा।
 - (6) इस नियम के अधीन मंजूर अनुज्ञप्ति, जब तक कि नवीकृत या रद्द/समाप्त न कर दी गयी हो, की वैधता की कालावधि दस वर्ष से अनधिक तक, प्रभावशील रहेगी।
 - (7) अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिये प्रत्येक आवेदन, उसकी कालावधि का अवसान होने के एक माह पूर्व करना होगा। अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिये नियम 4 के उपनियम (1), (2) और (3) में विनिर्दिष्ट समस्त आवश्यक प्रक्रिया अधिसूचित प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपनाई जावेगी।

- (8) यदि उपनियम (7) के अनुसार प्ररूप-क में नवीकरण के लिए आवेदन, किया जाता है, तो आवेदक को, आवेदन पर आदेश पारित होने तक, सम्यक् रूप से अनुज्ञप्त किया गया समझा जाएगा।
- (9) प्रबंध संचालक, या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाने के पश्चात्, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से किसी व्यक्ति को जो या तो शोधक्षम न हो या अधिनियम या नियमों या उपविधियों के अन्तर्गत निरर्हित हो या जो निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति न करता हो या जिसके परिचालन से मण्डी क्षेत्र में और या राज्य में मण्डी के कुशल संचालन में वृद्धि सम्भावित न हो, अनुज्ञप्ति मंजूर करने से इंकार कर सकेगा।
- (10) अनुज्ञप्ति की मंजूरी पर, आवेदक, आवेदन के साथ प्रस्तुत प्ररूप में वचनबंध निष्पादित करेगा कि वह अधिनियम, नियमों, उपविधियों तथा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार कार्य निष्पादित करेगा।
- (11) ऑन लाईन व्यापार अनुज्ञप्ति का निलम्बन या रद्दकरण:—
- (क) ऑन लाइन व्यापार अनुज्ञप्ति, अधिसूचित प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा निलम्बित या रद्द की जा सकेगी, यदि अनुज्ञप्तिधारी,—
- (एक) स्वेच्छया दुर्व्यपदेशन या कपट के माध्यम से अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त की है या उसकी ओर से कार्य करने वाला व्यक्ति, अनुज्ञप्ति की निर्बंधन या शर्तों को भंग करता है, या उल्लंघन करता है; या
- (दो) अन्य अनुज्ञप्ति धारकों के साथ सॉठ-गॉठ कर ऐसा कृत्य करता है, जिसके द्वारा किसी उपज का विपणन संयत कर लिया गया है, निलम्बित कर दिया गया है, या रोक दिया गया है; या
- (तीन) दिवालिया हो गया हो; या
- (चार) अधिनियम, नियमों और उपविधियों के अन्तर्गत कदाचरण के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

- (पांच) ने किसी मण्डी समिति, कृषकों, बोर्ड के हितों के विरुद्ध व्यवहार किया हो; या
- (छह) न्यायालय, प्रबंध संचालक या मण्डी समिति द्वारा नियमों और उपविधियों के अन्तर्गत सिद्धदोष ठहराया गया हो; या
- (सात) ने सम्यक मण्डी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान, ब्याज सहित अधिकतम 30 दिन की कालावधि में नहीं किया हो; या
- (आठ) ने मण्डी क्षेत्र में कृषकों/विक्रेताओं को, उनसे क़य की गई कृषि उपज का भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया हो; या
- (नौ) ने बोर्ड या मण्डी समिति में, सूचना/मांगपत्र में उल्लेखित कालावधि के भीतर सम्यक् राशि जमा न करते हुए भुगतान में व्यतिक्रम किया हो; या
- (दस) ने निर्धारित कालावधिक विवरणियां यथास्थिति, बोर्ड या मण्डी समिति के कार्यालय में, विहित समय सीमा में प्रस्तुत नहीं की हो; या
- (ग्यारह) ने बोर्ड या मण्डी समिति के हित के विरुद्ध कार्य किया हो; या
- (बारह) ने अधिसूचित कृषि उपज की तौल या हम्माली के लिये अनधिकृत व्यक्तियों को काम पर लगाया हो; या
- (तेरह) विक्रेता की कृषि उपज वास्तविक तौल से कम में तौल करने और उसे हानि पहुँचाने में अन्तर्वलित पाया गया हो :

परन्तु किसी अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द करने के पूर्व अधिसूचित प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई के लिये कम से कम पंद्रह दिन का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर नहीं दिया

जाता है तो यह समझा जायेगा कि अनुज्ञप्तिधारी कारण बताओ सूचना पत्र में दर्शित आरोपों से सहमत है, और अधिसूचित प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को एक पक्षीय निर्णय लेने का अधिकार होगा। अनुज्ञप्ति मंजूर/नवीकृत करने से इन्कार करने के आदेश से सम्बन्धित सूचना या अनुज्ञप्ति के निलम्बन या रद्दकरण से संबंधित सूचना, अधिसूचित प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/सोसायटी को निम्नलिखित तरीके से दी जाएगी,—

- (क) पंजीकृत डाक से उसके पंजीकृत कार्यालय में ; या
- (ख) उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्रदाय द्वारा।

5— राज्य में प्रांगण में परिचालन करने हेतु इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म (ई-प्लेटफार्म) अनुज्ञप्ति की मंजूरी.—

(1) कोई व्यक्ति जो नियम 3 के उपनियम (2) के अनुसार ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का इच्छुक हो, को 'प्ररूप-ग' में रूपये 5000/—(रूपये पांच हजार केवल) प्रतिवर्ष फीस के साथ, उक्त प्ररूप में उल्लेखित जानकारी के साथ प्रबंध संचालक को आवेदन करना होगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी की पात्रता का मापदण्ड निम्नानुसार होगा,—

- (क) आवेदक, पिछले तीन वर्ष से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का क्रमांक 1) के अन्तर्गत पंजीकृत होगा और साथ ही अधिसूचित कृषि उपज की इलेक्ट्रानिक नीलामी के व्यापार में होकर परस्पर, राज्य कृषि विपणन बोर्ड/ कृषि उपज मण्डी समिति/ सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाई को सेवायें उपलब्ध कराता हो और केवल इसी सेवा से उसका टर्न ओवर पिछले तात्कालिक दो वर्षों के दौरान कम से कम पांच करोड़ रूपये का हो, (पिछले निकटतम दो वर्षों के अंकेक्षित तुलना पत्र, और लाभ-हानि के लेखा की स्व-सत्यापित प्रतियां आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाएंगी);

- (ख) आवेदक को कृषि उपज के लिये ई-नीलाम प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिये मान्यता प्राप्त होना चाहिये और उसने तत्काल के पिछले दो वर्षों के दौरान सफलतापूर्वक कम से कम 2500 ई-नीलामियां (कुल) नीलाम रूपये 500/- करोड़ (रूपये पांच सौ करोड़) मूल्य की पूर्ण की होना चाहिये (सम्बद्ध दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रतियां आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाएंगी);
- (ग) आवेदक का एकल अस्तित्व होना चाहिए। मण्डल(संघ) आवेदन के लिये पात्र नहीं होंगे। आवेदक, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/अन्य शासकीय संस्था द्वारा काली सूचीबद्ध या पात्रता से अलग न दिया गया हो या अपात्रता की किसी, घोषणा के अधीन भ्रष्ट या कपटपूर्ण व्यवहार का घोषित नहीं होना चाहिये। (आवेदन के साथ इस आशय का स्व-प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।)
- (घ) आवेदक आईएसओ 27001 के लिये प्रमाणित होना चाहिये और उसका स्वयं का कार्यक्षेत्र (डोमेन), ई-नीलामी संबंधी साफ्टवेयर आवेदक तथा स्वयं का डेटा सेंटर/(भारत सरकार द्वारा अनुमोदित) त्रिस्तरीय (टियर-3) के लिये व्यवस्था होना चाहिये। ई-नीलामी संबंधी साफ्टवेयर आवेदक के द्वारा स्वयं डिजाइन किया हुआ, विकसित और स्वामित्व का होना चाहिये तथा ई-नीलामी पोर्टल, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीव्हीसी), डेडटी (इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग), मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 एवं ई-नीलामी प्रक्रिया को अग्रसर करने वाली अन्य नियामक संस्थाओं का विश्वस्त होना चाहिये। (सुसंगत दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाएं।)
- (ङ) आवेदक, ऑनलाइन व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के साथ प्रत्यक्ष और या अप्रत्यक्ष कोई सहभागी अंश या कोई भागीदारी नहीं रखेगा

और प्रत्यक्ष और या अप्रत्यक्ष रूप से अधिसूचित कृषि उपज क्रय नहीं करेगा।

- (3) आवेदक, रू. 50,00,000/- (रू. पचास लाख) मूल्य की निष्पादन प्रतिभूति, राष्ट्रीयकृत बैंक से आहरित और उक्त बैंक की भोपाल शाखा, मध्यप्रदेश पर प्रस्तुत और मान्य करने योग्य बैंक गारण्टी के रूप में प्रस्तुत करेगा। यह निष्पादन प्रतिभूति, कार्य परिचालन के एक वर्ष पश्चात्, अनुज्ञप्तिधारी के ई-प्लेटफार्म के माध्यम से सम्पन्न ऑन लाईन व्यापार की कम से कम पाँच प्रतिशत और या न्यूनतम रू. 75,00,000/- (रू. पचहत्तर लाख) जो भी अधिक हो, पुनरीक्षित की जाएगी।
- (4) प्रबंध संचालक, सब प्रकार से पूर्ण, वांछित जानकारी, दस्तावेज और फीस के साथ आवेदन प्राप्त होने पर राज्य में, प्रांगण में अधोसंरचना की स्थापना करने के लिये, आवेदन प्राप्ति से पंद्रह कार्य दिवसों के भीतर प्ररूप ग-1 में अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा।
- (5) इस प्रकार, प्राप्त अनुज्ञप्ति फीस और निष्पादन प्रतिभूति, राजसात होने की दशा में, राशि, राज्य विपणन विकास निधि में जमा कर दी जाएगी।
- (6) अनुज्ञप्तिधारी को ई-नीलामी के लिये अपनी स्वयं की अधोसंरचना राज्य में, प्रांगण में स्थापित करनी होगी और आनलाइन व्यापार तथा सहायक सेवाएं जैसे परखने की क्रिया, भण्डारण और परिवहन आदि उपलब्ध कराने हेतु जन शक्ति तैनात करनी होगी। मण्डी समिति, अनुज्ञप्तिधारी को, जिला कलक्टर द्वारा विनिश्चित किराए पर, समुचित कार्यालय जगह उपलब्ध कराएगी। वास्तविक उपयोग के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मण्डी समिति को विद्युत प्रभार संदत्त किए जाएंगे। अनुज्ञप्तिधारी, हार्डवेयर, फर्नीचर, फिक्चर, उपस्कर, जनशक्ति आदि की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।
- (7) इन नियमों के अंतर्गत ऑनलाइन व्यापार अनुज्ञप्तिधारी, केवल ई-प्लेटफार्म के माध्यम से व्यापार करने का हकदार होगा और इसका ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। आगे यह कि केवल सफलता से व्यापार पूर्ण होने के पश्चात् अर्थात् उत्पादों की भौतिक अदायगी और समस्त फीस/देनदारी/व्ययों आदि के साथ ही विक्रेता आदि को राशि

- के भुगतान के पश्चात्, ऑनलाइन व्यापार अनुज्ञप्तिधारी किसी अन्य आनलाइन व्यापार अनुज्ञप्तिधारी के साथ उसके द्वारा राज्य में, प्रांगण में, ई-प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए ई-नीलामी के माध्यम से क्रय की गई उत्पादों के लिये वाणिज्यिक संव्यवहार में भाग लेने का पात्र होगा।
- (8) अनुज्ञप्तिधारी, विक्रेता को परखने की प्रक्रिया सेवा और या, ऑनलाइन व्यापार अनुज्ञप्तिधारी क्रेता को भण्डारण तथा लाजिस्टिक सेवा उपलब्ध कराएगा, जिसके लिए प्रभारित किए जाने वाले प्रभारों की अग्रिम में ही (जैसे- ई-नीलामी प्रारंभ होने के पूर्व) लिये जाने वाले सेवा प्रभारों की, अनुज्ञप्तिधारी एवं विक्रेता/क्रेता के बीच सहमति होगी (ई-नीलामी शुरू होने के पूर्व) और ई-नीलामी पोर्टल पर, साथ ही साथ विक्रय करार (अनुबंध पत्रक) जो कि विक्रेता/क्रेता और अनुज्ञप्तिधारी के बीच हुआ है, प्रदर्शित होगा। उक्त सेवा प्रभार, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, विक्रेता/क्रेता से संबंधित सेवाएं (परखने की प्रक्रिया और या भण्डारण तथा लाजिस्टिक आदि) ई-प्लेटफार्म पर स्थल व्यापार के लिये उपलब्ध कराने प्राप्त किया जाएगा।
- (9) अनुज्ञप्तिधारी, अधिसूचित कृषि उत्पादों की खरीद पर अधिनियम, उपविधियों के उपबंधों और राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार समस्त प्रगुणित/सम्यक् मण्डी फीस और अन्य उपकर, उगाही व्यय का भुगतान संबंधित मण्डी समिति को करना सुनिश्चित करेगा और इसके लिये एकमात्र जबाबदेह होगा।
- (10) इस नियम के अधीन मंजूर अनुज्ञप्ति, जब तक कि वह नवीकृत या रद्द/समाप्त न कर दी गई हो, अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि तक प्रभावशील रहेगी, जो दस वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (11) अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिये प्रत्येक आवेदन उसकी कालावधि के अवसान के एक माह पूर्व किया जाएगा। अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए, प्राधिकारी द्वारा, नई अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिये उल्लेखित समस्त आवश्यक प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
- (12) यदि नवीकरण के लिये आवेदन नियम 5 के उपनियम (10) के अनुसार "प्ररूप-ग" में किया गया है तो आवेदन पर आदेश पारित होने तक आवेदक को सम्यक् रूप से अनुज्ञप्तिधारी समझा जाएगा।

- (13) प्रबंध संचालक, आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाने के पश्चात्, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से किसी व्यक्ति को जो या तो शोधक्षम न हो या अधिनियम या नियमों या उपविधियों के अंतर्गत निरर्हित हो या जो अधिकथित मापदण्डों की पूर्ति न करता हो या जिसके परिचालन से, मण्डी क्षेत्र और या राज्य में, मण्डी के कुशल संचालन में वृद्धि संभावित न हो, अनुज्ञप्ति मंजूर करने से इंकार कर सकेगा।
- (14) अनुज्ञप्ति मंजूर होने पर, आवेदक, आवेदन के साथ प्रस्तुत प्ररूप में अधिनियम, नियमों, उपविधियों तथा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार कार्य हेतु सहमति का वचनपत्र निष्पादित करेगा।
- (15) अनुज्ञप्तिधारी, संव्यवहार प्रभार (जो सेवा कर तथा अन्य विधिक उगाही, यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगा और वह "संव्यवहार प्रभार" से अतिरिक्त होगा, तथापि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय आयकर विधिक उगाहियों का भाग नहीं होगा) ऑनलाइन व्यापार की अनुज्ञप्ति रखने वाले क्रेता पर लगाने व प्राप्त करने का हकदार होगा, जो समस्त उपकर/फीस, कय राशि के विक्रेता को भुगतान और अधिसूचित कृषि उपज को प्रदाय करने के फलस्वरूप किए गए व्यापार पर देय होगा।
- (16) अनुज्ञप्तिधारी, क्रियान्वयन सेवाओं के लिये एकमेव रूप से उत्तरदायी होगा जिसमें सम्मिलित होगा ई-प्लेटफार्म का व्यवसायीकरण, बोर्ड द्वारा सूचित किये अनुसार ई-प्लेटफार्म में अतिरिक्त क्षमता बनाने, मण्डी कर्मचारीगण, आनलाइन व्यापार के अनुज्ञप्तिधारी, कृषकों और अन्य भागीदारियों को प्रशिक्षण देने, बोर्ड, मण्डी समितियों को ई-प्लेटफार्म और अन्य ऐसी गतिविधियों को अपनाना, मण्डी समिति को अपने संचालन के लिये ई-प्लेटफार्म लगाना।
- (17) अनुज्ञप्तिधारी—
- (क) कुशलता पूर्वक कार्य पद्धति प्रशासन, कार्य पद्धति उन्नयन प्रबंधन, तैनाती करने और उन्नयन करने;
- (ख) परिचालन पद्धति, डेटा आधारित कार्य पद्धति, नेटवर्क और प्रशासनिक कार्य पद्धति का रख-रखाव एवं व्यवस्था;

- (ग) ऐसी रीति में जैसा कि वह उसे उपयुक्त समझे नियमित रूप से बेक अप और डेटा को सुरक्षित रखने;
- (घ) प्राथमिक डाटा केन्द्र और आपदा पुनर्लाभ साइट के भीतर अनुप्रयोग में असफलता को उपयुक्त ढंग से संभालने;
- (ङ) डाटा केन्द्र में बहुसंख्यक सुरक्षा क्षेत्र का रखरखाव करने;
- (च) भौतिक और नेटवर्क सुरक्षा युक्तियों प्रसंस्करण तथा नीतियों के विलेख का रखरखाव करने;
- (छ) अधोसंरचना प्रबंधन औजार और प्रतिवेदन का रखरखाव करने;
- (ज) घटना और त्रुटि प्रतिवेदन अनुसरण का रखरखाव करने;
- (झ) अन्त तक सम्भाले रखने और अस्तित्व विवरण के अंत तक पूंजी पंजी का रखरखाव और उसका अनुसरण करने;
- (ञ) मण्डियों और डेटा केन्द्र के मध्य डेटालाइन का निरीक्षण व परीक्षण करने;
- (ट) लाइन त्रुटि के लिए, नेटवर्क सेवा प्रदाता के साथ संपर्क सहित इण्टरनेट कनेक्टिविटी, नई लाईनों का प्रावधान और सम्बद्ध मामलों, के लिये भी जबाबदार होगा; तथा
- निम्नांकित पुनर्लाभ बिन्दु लक्ष्य, लागू होंगे :-
- (क) प्राथमिक डेटा केन्द्र में असफलता की दशा में पूर्ण किये गये कारोबार की कोई हानि नहीं होगी; तथा
- (ख) आपदा पुनर्लाभ सुविधा की असफलता की दशा में व्यापार और समझौते के डेटा की कोई हानि नहीं होगी।
- (18.) बोर्ड द्वारा अपेक्षा किये जा सकने वाले ई-प्लेटफार्म के सुधार या वृद्धि, किसी सीमा के अध्यधीन नहीं होगी। आगे यह कि, किसी अन्य राज्य द्वारा वैसी ही ई-प्लेटफार्म अपनाने की दशा में या भारत सरकार द्वारा किसी राज्य या राज्यों को उपलब्ध कराने की स्थिति में, यथास्थिति, ऐसे राज्य से या भारत सरकार से विधिक सहमति प्राप्त करने के बाद, बोर्ड, अनुज्ञप्तिधारी को, अनुज्ञप्तिधारी के ई-प्लेटफार्म के माध्यम से ऐसे अन्य ई-प्लेटफार्म को पहुंच उपलब्ध कराने के लिये निर्देश दे सकेगा, जिससे कि -

- (क) मध्यप्रदेश राज्य में ऑन लाइन व्यापारी और कृषक अपनी अधिसूचित उत्पादों, अनुज्ञप्तिधारी के ई-प्लेटफार्म के अतिरिक्त ऐसे अन्य ई-प्लेटफार्म के माध्यम विक्रय के लिए प्रस्तावित कर सकें; और
- (ख) ऐसे अन्य ई-प्लेटफार्म में आनलाइन व्यापार का अनुज्ञप्तिधारी, विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी के ई-प्लेटफार्म पर विक्रय के लिये अधिसूचित उत्पादों की बोली लगा सके।
- (19) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि निम्नलिखित निष्पादन स्तर का ई-प्लेटफार्म के लिये रख-रखाव हो -
- (क) प्रति मण्डी उच्चतम क्षमता- 20000 ढेर प्रतिदिन
- (ख) प्रति मण्डी औसत क्षमता- 800 ढेर प्रतिदिन
- (ग) सहमत उपयोगकर्ता- 5000
- (घ) लैन पर प्रतिक्रिया का समय-2 सेकेण्ड से कम
- (ङ) समूह प्रक्रिया-सभी समूह प्रक्रिया के लिये 10 मिनट से अधिक नहीं।
- (च) प्राथमिक डेटा केन्द्र में पुनर्लाभ बिन्दु लक्ष्य की असफलता के लिये पूर्ण संव्यवहार के लिए कोई क्षति नहीं
- (छ) संकट पुनर्लाभ सुविधा की असफलता के लिये पुनर्लाभ बिन्दु लक्ष्य-व्यापार और समझौता डेटा की कोई हानि नहीं। प्रांगण के ढेरियों के लिये कम और ढेरियों का डेटा खो सकता है।
- (ज) प्राथमिक डेटा केन्द्र में असफलता के लिये पुनर्लाभ समय लक्ष्य-दस मिनट
- (झ) आपदा पुनर्लाभ सुविधा की असफलता के लिये पुनर्लाभ समय लक्ष्य-अगले दिन के व्यापार का, व्यापार समय प्रारंभ होने के पूर्व।
- टीप- ऊपर वर्णित सम्पादन स्तर, केवल सांकेतिक है। अनुभव के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी को उच्च क्षमता और उपयोगकर्ताओं को जो उपर्युक्त से अधिक हो सकते हैं, सम्हालने के लिये तत्पर रहना होगा।
- (20.) अनुज्ञप्तिधारी, जाने के अधिकतम 30 दिवस की कालावधि के भीतर प्रदेश स्तर का कार्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश और आवश्यक अधोसंरचना के साथ, मण्डी प्रांगण में स्थल कार्यालय, अनुज्ञप्ति मंजूर किये स्थापित करेगा। आगे यह कि,

अनुज्ञप्तिधारी लिखित में, अपने प्रदेश कार्यालय के बारे में पता, दूरभाष नं., फ़ैक्स नं., ईमेल आदि प्रबंध संचालक को और स्थल कार्यालय के संबंध में संयुक्त संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, (संबंधित) आंचलिक कार्यालय तथा सचिव, मण्डी समिति को सूचित करेगा।

(21.) ई-प्लेटफ़ार्म का निलंबन या रद्दकरण.—

(क) ई-प्लेटफ़ार्म अनुज्ञप्ति, अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा निलंबित या रद्द की जा सकेगी, यदि अनुज्ञप्तिधारी —

(एक) अनुज्ञप्ति स्वेच्छया दुर्व्यपदेशन या कपट से प्राप्त करता है

या उसके निमित्त कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, अनुज्ञप्ति के निर्बंधन या शर्त का उल्लंघन या धोखा करता है; या

(दो) अन्य अनुज्ञप्तिधारी के साथ साठ गांठ करते हुये ऐसा कृत्य करता है जिससे किसी उपज का विपणन संयत हो गया हो, निलंबित हो गया हो या रूक गया हो; या

(तीन) दिवालिया हो गया हो; या

(चार) अधिनियम नियमों और उपविधियों के अंतर्गत कदाचरण के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(पांच) ने किसी मण्डी समिति, कृषकों, बोर्ड के हितों के विरुद्ध व्यवहार किया हो; या

(छह) नियमों और उपविधियों न्यायालय, प्रबंध संचालक या मण्डी समिति द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया हो ;

(सात) अधिकतम 30 दिवस के भीतर ब्याज सहित मण्डी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया हो; या

(आठ) निर्धारित कालावधि में मण्डी क्षेत्र के कृषकों/विक्रेताओं को उनसे क्रय की गई कृषि उपज का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया हो; या

(नौ) सूचना पत्र/मॉग पत्र में उल्लेखित कालावधि के भीतर बोर्ड या मण्डी समिति में शोध्य राशि का निक्षेप न कर भुगतान में व्यतिक्रम किया हो ;

- (दस) विहित कालावधि के भीतर, यथास्थिति, बोर्ड या मण्डी समिति के कार्यालय में निर्धारित कालावधिक विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की हों; या
- (ग्यारह) बोर्ड या मण्डी समिति के हितों के विरुद्ध कृत्य किया हो; या
- (बारह) अधिसूचित कृषि उपज की तौल और हम्माली के लिये अनधिकृत व्यक्तियों को लगाया हो; या
- (तेरह) विक्रेता की कृषि उपज का वास्तविक तोल से कम तोल कर उसे हानि पहुँचाने में अन्तर्वलित रहा हो; या
- (चौदह) भारत सरकार/राज्य सरकार/सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों द्वारा व्यतिक्रम या अपात्र घोषित किया गया हो और या पात्रता के निर्धारित मापदण्ड की अनुकूलता से हट गया हो :

परन्तु, किसी अनुज्ञप्ति को निलंबित या निरस्त करने के पूर्व अधिसूचित प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई के लिये 15 दिनों का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियत समय सीमा में कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह समझा जाएगा कि अनुज्ञप्तिधारी कारण बताओ सूचना पत्र में दर्शाये गये आरोपों से सहमत है और अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी को एक पक्षीय निर्णय लेने का अधिकार होगा।

अनुज्ञप्ति मंजूर/नवीनीकृत करने से मना करने से संबंधित सूचना या अनुज्ञप्ति, निलंबित या निरस्तीकरण से संबंधित सूचना, अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा संबंधित व्यक्ति/फर्म/कंपनी/संस्था को निम्नलिखित रीति से दी जाएगी,—

- (क) उसके पंजीकृत कार्यालय को पंजीकृत डाक द्वारा; या
- (ख) उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्रदाय द्वारा ;
- (22) ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति जारी करना, किसी भी प्रकार से मण्डी समिति को उसके स्वयं के ई-प्लेटफार्म, राज्य सरकार के स्वामित्व के ई-प्लेटफार्म, भारत सरकार और या सरकार के स्वामित्व के सार्वजनिक उपक्रम की इकाईयों के ई-प्लेटफार्म का संचालन करने, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अधिसूचित कृषि उपज के नीलाम को चालू बनाये रखने के साथ ही, अधिसूचित प्राधिकारी को ई-प्लेटफार्म की एक से अधिक व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति जारी करने से प्रतिषिद्ध नहीं करेगी।
- (23) अनुज्ञप्ति की समाप्ति और या रद्दकरण और या अनुज्ञप्ति की कालावधि की पूर्णता की दशा में समस्त प्रतिवेदन, डेटा और संबंधित जानकारी, हार्ड-कॉपी के साथ ही साथ साफ्ट-कापी में मण्डी समिति और बोर्ड को हस्तांतरित करना अनुज्ञप्तिधारी पर बाध्यकारी होगा।

6. ई-प्लेटफार्म.—

- (1) प्रबंध संचालक, अधिसूचित कृषि उत्पादों और मण्डी समिति विनिर्दिष्ट करेगा, जहाँ ऐसी अधिसूचित कृषि उत्पादों का विक्रय मूल्य ऐसे मण्डी क्षेत्र में ई-प्लेटफार्म द्वारा निर्धारित किया जाएगा जैसा कि प्रबंध संचालक इस निमित्त निर्देशित करे।
- (2) प्रबंध संचालक, अधिसूचित कृषि उत्पादों और विनिर्दिष्ट मंडियों के संबंध में नियम(1) के अधीन निम्नलिखित में से एक या अधिक विनिर्दिष्ट कर सकेगा अर्थात्—
- (एक) अधिसूचित कृषि उत्पादों की गुणवत्ता जाँच, श्रेणीकरण, गुणवत्ता प्रमाणीकरण और मानकीकरण;
- (दो) विक्रय के पूर्व और पश्चात् वस्तुओं की तौल;
- (तीन) अधिसूचित कृषि वस्तुओं का मण्डी क्षेत्र में भण्डार गृहों में भण्डारण और ऐसी भण्डार की गई कृषि उत्पादों का विक्रय;
- (चार) ऑन लाईन व्यापारियों द्वारा अधिसूचित कृषि उत्पादों के मूल्य का भुगतान;

- (पाँच) ई-प्लेटफार्म के माध्यम से अधिसूचित कृषि उत्पादों की सरकारी खरीद और निपटारा;
- (छह) आनलाईन व्यापारी द्वारा व्यतिक्रम की दशा में विक्रेता को क्षति पूर्ति;
- (सात) मण्डी का ज्ञान ;
- (आठ) कोई अन्य मामला जो प्रबंध संचालक की राय में अधिसूचित कृषि उत्पादों को ई-प्लेटफार्म के माध्यम से विक्रय को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हो;

ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्तिधारी के साथ प्रबंध संचालक द्वारा एक सेवा स्तरीय अनुबंध, नियम 6 के अधीन अधिसूचित मण्डियों के लिये ई-प्लेटफार्म तथा अन्य सेवायें उपलब्ध कराने के निबंधन तथा शर्तें विनिर्दिष्ट करते हुए, किया जायेगा, जो ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्तिधारी पर बाध्यकर होगा।

7. ऑन-लाईन व्यापार एवं मण्डियों से सम्बद्ध विवादों का निराकरण.—

इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिसूचित कृषि उत्पादों के संबंध में मण्डी समिति की उपविधियाँ, विवादों के निपटारे के लिये प्रभावी रहेगी।

8. निष्पादन प्रतिभूति की विमुक्ति.—

(1) विक्रेता को उसकी उपज के लिये शोध्य राशि और मण्डी समिति को शोध्य राशि, यदि ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भुगतान नहीं की गई तो अधिसूचित प्राधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा ब्याज सहित गारण्टी के रूप में दी गई प्रतिभूति से वसूली जावेगी। बैंक गारण्टी के रूप में जमा प्रतिभूति की शेष राशि, यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मांगी गई तो मण्डी समिति के सचिव से कोई मांग/शोध्य देय न होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद मुक्त कर दी जावेगी।

(2) यदि अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति समर्पित करना चाहता है तो, प्राधिकारी समुचित जांच के पश्चात्, जमा निष्पादन प्रतिभूति की राशि प्रतिदाय करने या प्रतिदाय नहीं करने या आंशिक प्रतिदाय करने बाबत् निर्णय

ले सकेगा। अधिसूचित प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा और अनुज्ञप्तिधारी पर बाध्यकार होगा।

अध्याय—चार

अपील

9. ऑनलाइन व्यापार अनुज्ञप्ति/ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति मंजूर करने से/मना करने या उसके निलम्बन/रद्दकरण करने के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश प्राप्ति के दिनांक से 30 दिवस के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और सुनवाई का उपयुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा।

अध्याय—पांच

अन्य शर्तें

10. ऑन लाइन व्यापार और ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विवरणियाँ प्रस्तुत किया जाना.—

उपविधियों के उपबंधों के अनुसार समस्त विवरणियाँ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मण्डी समिति/अधिसूचित प्राधिकारी और या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना होगी, जो ई-प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए की गई नीलामी से सम्बन्धित अतिरिक्त जानकारी/प्रतिवेदन की भी अपेक्षा कर सकेगा और वह अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपलब्ध कराना होगी।

प्ररूप-क

(नियम 4 देखिए)

मध्यप्रदेश राज्य में प्रांगण में परिचालन के लिये ऑनलाईन व्यापारी अनुज्ञप्ति प्राप्त करने/नवीकृत करने के लिये आवेदन प्रति,

प्रबन्ध संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

महोदय,

मैं/हम.....नाम.....

पता.....राज्य में प्रांगण में ऑनलाईन व्यापारी के रूप में परिचालन करने के लिये आवेदन कर रहा हूँ/कर रहे हैं। मैं/हम.....वर्षों(दस वर्षों से अधिक नहीं) की कालावधि के लिये ऊपर उल्लेखित अनुज्ञप्ति की प्राप्ति/नवीनीकरण के लिये नियमानुसार रु. 500/- प्रतिवर्ष की आवश्यक अनुज्ञप्ति फीस भुगतान करने हेतु सहमत हूँ/हैं।

इस आवेदन के साथ मैं/हम निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ/कर रहे हैं—

- (1) शोध क्षमता प्रमाण पत्र।
- (2) बैंक गारण्टी {नियम 4(2) देखिए}
- (3) बैंक विवरण : बैंक का नाम, बैंक खाते (अकाउण्ट) का प्रकार, खाता क्रमांक, शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी.कोड आदि (सम्बंधित बैंक से प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना है)
- (4) पैन,
- (5) सी.एस.टी.पंजीकरण,
- (6) वैट पंजीकरण,
- (7) पते का प्रमाण,
- (8) आवेदक की स्थिति—वैयक्तिक/भागीदारी फर्म/कम्पनी/संस्था।

--: घोषणा :-

- (1) मैं/हम, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972(क्रमांक 24 सन् 1973) और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उपविधियों तथा समय-समय पर उनमें किये गये संशोधनों और प्रबंध संचालक, बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी और सचिव, मण्डी समिति द्वारा जारी किये गये निर्देश और आदेशों का निष्ठा से पालन करने के लिये सहमत हूँ/हैं।
- (2) मैं/हम, अपने व्यापार के कार्य संचालन के संबंध में आवश्यक सभी अभिलेख और जानकारी रखने तथा जो भी जानकारी तथा दस्तावेज, उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिये अपेक्षित की जावेगी, उसे प्रस्तुत करने के लिये सहमत हूँ/हैं।
- (3) मैं/हम, जो भी फीस के खर्चे या राशि विधिक रूप से मुझसे /हमारे से देय है, उसका भुगतान करने लिये सहमत हूँ/हैं।
- (4) मैं/हम, अवैध व्यापार करने वाले व्यक्तियों के साथ व्यापार न करने के लिये सहमत हूँ/हैं तथा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही में सहयोग करूंगा/करेंगे।
- (5) मैं/हम, मध्यप्रदेश राज्य में किसी भी मण्डी समिति का किसी अपराध या दुर्व्यवहार का दोषी नहीं रहा हूँ।
- (6) मैं/हम, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ भागीदार नहीं हूँ/हैं जिसे अनुज्ञप्ति देने से इंकार कर दिया गया है।
- (7) मैंने/हमने इस अनुज्ञप्ति के लिये उससे केवल लाभ अर्जित करने के लिये आवेदन नहीं किया है।
- (8) मैंने/हमने अभी तक किसी मण्डी समिति के स्वस्थ और सुचारु कार्य संचालन के लिये कोई विघ्न उत्पन्न नहीं किया है या किसी व्यक्ति के साथ अशोभनीय या कपटपूर्वक कारोबार में सन्निहित नहीं रहा हूँ/रहे हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर

1— नाम :-
पता :-
हस्ताक्षर :-

2— नाम :-
पता :-
हस्ताक्षर :-

प्ररूप-क-1

(नियम 4 देखिए)

मध्यप्रदेश राज्य में प्रांगण में परिचालन के लिये ऑनलाईन व्यापारी अनुज्ञप्ति प्राप्त करने / नवीकृत करने के लिये आवेदन प्रति,

प्रबन्ध संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

महोदय,

मैं/हम.....नाम.....पता.....

.....राज्य में प्रांगण में ऑनलाईन व्यापारी के रूप में परिचालन करने के लिये आवेदन कर रहा हूँ/कर रहे है। मैं/हम कृषि उपज मण्डी समिति..... जिला.....का/के अनुज्ञप्ति क्रमांक.....जो कि...../...../.....तक वैध है का/के व्यापारी हूँ/हैं। मैं/हम.....वर्षों(दस वर्षों से अधिक नहीं) की कालावधि के लिये ऊपर उल्लेखित अनुज्ञप्ति की प्राप्ति/नवीनीकरण के लिये नियमानुसार रु. 100/- प्रतिवर्ष की आवश्यक अनुज्ञप्ति फीस भुगतान करने हेतु सहमत हूँ/है। इस आवेदन के साथ मैं/हम निम्नांकित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ/कर रहे है-

- (1.) शोध क्षमता प्रमाण पत्र।
- (2.) बैंक गारण्टी { देखे नियम 4(2) }
- (3.) बैंक विवरण : बैंक का नाम, बैंक खाते (अकाउण्ट) का प्रकार, खाता क्रमांक, शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी.कोड आदि (सम्बंधित बैंक से प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना है)
- (4.) पैन,
- (5.) सी.एस.टी.पंजीकरण,
- (6.) वैट पंजीकरण,
- (7.) पते का प्रमाण,
- (8.) आवेदक की स्थिति-वैयक्तिक/भागीदारी फर्म/कम्पनी/संस्था।

-: घोषणा :-

- (1) मैं/हम, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972(क्रमांक 24 सन् 1973) और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उपविधियों तथा समय-समय पर उनमें किये गये संशोधनों और प्रबंध संचालक, बोर्ड या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी और सचिव, मण्डी समिति द्वारा जारी किये गये निर्देश और आदेशों का निष्ठा से पालन करने के लिये सहमत हूँ/हैं।
- (2) मैं/हम, अपने व्यापार के कार्य संचालन के संबंध में आवश्यक सभी अभिलेख और जानकारी रखने तथा जो भी जानकारी तथा दस्तावेज, उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिये अपेक्षित की जावेगी, उसे प्रस्तुत करने के लिये सहमत हूँ/हैं।
- (3) मैं/हम, जो भी फीस के खर्चे या राशि विधिक रूप से मुझसे /हमारे से देय है, उसका भुगतान करने लिये सहमत हूँ/हैं।
- (4) मैं/हम, अवैध व्यापार करने वाले व्यक्तियों के साथ व्यापार न करने के लिये सहमत हूँ/हैं तथा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही में सहयोग करूंगा/करेंगे।
- (5) मैं/हम मध्यप्रदेश राज्य में किसी भी मण्डी समिति का किसी अपराध या दुर्व्यवहार का दोषी नहीं रहा हूँ।
- (6) मैं/हम ऐसे किसी व्यक्ति के साथ भागीदार नहीं हूँ / हैं जिसे अनुज्ञप्ति देने से इंकार कर दिया गया है।
- (7) मैंने /हमने इस अनुज्ञप्ति के लिये उससे केवल लाभ अर्जित करने के लिये आवेदन नहीं किया है।
- (8) मैंने/हमने अभी तक किसी मण्डी समिति के स्वस्थ और सुचारु कार्य संचालन के लिये कोई विघ्न उत्पन्न नहीं किया है या किसी व्यक्ति के साथ अशोभनीय या कपटपूर्वक कारोबार में सन्निहित नहीं रहा हूँ/रहे हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर

1- नाम :-
पता :-
हस्ताक्षर :-

2- नाम :-
पता :-
हस्ताक्षर :-

प्ररूप-ख

(नियम 4 देखिए)

मध्यप्रदेश राज्य में प्रांगण में ऑनलाईन व्यापारी के रूप में परिचालन के लिये अनुज्ञप्ति

ऑनलाईन व्यापार, अनुज्ञप्ति, एतद्वारा श्री/मेसर्स.....

.....(नाम).....

पता.....(दूरभाष नम्बर).....को फीस रूपये.....के

भुगतान पर, जो इसके पश्चात अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है, प्रदेश में प्रांगण में परिचालन करने के लिये 31 मार्च(वर्ष) तक वैध, "मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972(क्रमांक 24 सन् 1973) तथा "मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (ऑनलाईन व्यापार एवं ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति) नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों पर, मंजूर की जाती है, अर्थात् :-

- (1.) अनुज्ञप्तिधारी, उक्त अधिनियम, नियमों और उपविधियों के उपबंधों द्वारा आबद्ध रहेगा।
- (2.) यह अनुज्ञप्ति हस्तान्तरणीय नहीं है।
- (3.) यह अनुज्ञप्ति कथित अधिनियम और उसकी अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार निलम्बित या रद्द की जा सकेगी।
- (4.) इस अनुज्ञप्ति के निलम्बन या रद्दकरण की दशा में यह प्रबंध संचालक और या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को समर्पित की जाएगी।
- (5.) अनुज्ञप्तिधारी, राज्य में किसी भी प्रांगण में ऑनलाईन व्यापारी के रूप में व्यवसाय चलाएगा।
- (6.) अनुज्ञप्तिधारी, उपविधियों में निर्धारित मण्डी फीस का सम्बन्धित मण्डी समिति को भुगतान करेगा।
- (7.) अनुज्ञप्तिधारी, घोषित किसी कृषि उपज को अपमिश्रित(मिलावट) नहीं करेगा या अपमिश्रित नहीं होने देगा।
- (8.) अनुज्ञप्तिधारी, प्रबंध संचालक और सचिव, मण्डी समिति को मण्डी फीस की चोरी रोकने में सहायता करेगा।
- (9.) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति मंजूर होने के पन्द्रह दिवस की कालावधि के भीतर अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के बारे में सूचित करेगा जो उसकी ओर से जवाबदेह होगा।

- (10.) अनुज्ञप्तिधारी, प्रबंध संचालक और सचिव, मण्डी समिति द्वारा अपेक्षित तरीके से नियम 10 और उपविधियों के अनुसार बही,पंजी और अभिलेख का संधारण करेगा और प्रबंध संचालक, और सचिव, मण्डी समिति या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराएगा।
- (11.) अनुज्ञप्तिधारी, समय-समय पर, नियम 10 और उपविधियों के अनुसार प्रबंध संचालक और सचिव, मण्डी समिति या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को जानकारी तथा विवरणियां प्रदाय करेगा।
- (12.) अनुज्ञप्तिधारी, मूल्य निश्चित करेगा और मण्डी समिति की उपविधियों के अधीन दिये गये तरीके से कृषि उपज का भुगतान करेगा और मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972(क्रमांक 24 सन् 1973) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार लेखा पर्ची या क्य देयक(बिल) जारी करेगा।
- (13.) अनुज्ञप्तिधारी, किसी फीस की मांग या कोई खर्च की वसूली नहीं करेगा।
- (14.) अनुज्ञप्तिधारी, किसी प्रकार का व्यापार भत्ता न तो बनाएगा या न ही वसूल करेगा।
- (15.) जहां भी आवश्यक हो, अनुज्ञप्तिधारी, अपने स्वयं के व्यय पर प्राधिकृत तौल के बॉट और माप का उपयोग करेगा।
- (16.) अनुज्ञप्तिधारी, नियम-4 में विस्तार से दी गई समस्त शर्तों और निर्बंधनों का पालन सुनिश्चित करेगा और अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और उपविधियों के प्रावधानों का कठोरता पूर्वक पालन करेगा।
- (17.) अनुज्ञप्तिधारी, घोषित कृषि उत्पादों के विपणन के संबंध में विवाद में, अपने विवाद, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972(क्रमांक 24 सन् 1973) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और उपविधियों में दिये गये तरीके से संदर्भ में उल्लेख करेगा।

स्थान :

दिनांक :

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

प्ररूप-ग

(नियम 5 देखे)

मध्यप्रदेश राज्य में प्रांगण में ई-प्लेटफार्म परिचालन के लिये अनुज्ञप्ति की प्राप्ति/नवीनीकरण के लिये आवेदन प्रति,

प्रबन्ध संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

महोदय,

मैं/हम.....नाम.....

पता.....राज्य में प्रांगण में ई-प्लेटफार्म परिचालन करने के लिये आवेदन कर रहा हूँ/कर रहे है। मैं/हम.....वर्षों(दस वर्षों से अधिक नहीं) की कालावधि के लिये ऊपर उल्लेखित अनुज्ञप्ति की प्राप्ति/नवीनीकरण के लिये नियमानुसार रु. 5000/-प्रतिवर्ष की आवश्यक अनुज्ञप्ति फीस भुगतान करने हेतु सहमत हूँ/हैं।

इस आवेदन के साथ मैं/हम निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ/कर रहे है:-

- (1.) शोध क्षमता प्रमाण पत्र।
- (2.) बैंक गारण्टी {नियम 5(3) देखिए}
- (3.) बैंक विवरण : बैंक का नाम, बैंक खाते (अकाउण्ट) का प्रकार, खाता क्रमांक, शाखा का नाम,आई.एफ.एस.सी.कोड आदि (सम्बंधित बैंक से प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना है)
- (4.) पैन,
- (5.) सी.एस.टी.पंजीकरण,
- (6.) वैट पंजीकरण,
- (7.) पते का प्रमाण,
- (8.) आवेदक की स्थिति-वैयक्तिक/भागीदारी फर्म/कम्पनी/संस्था।

--: घोषणा :-

- (1) मैं/हम, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972(कमांक 24 सन् 1973) और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उपविधियों तथा समय-समय पर उनमें किये गये संशोधनों और प्रबंध संचालक और या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी और या सचिव, मण्डी समिति द्वारा जारी किये गये निर्देशों और आदेशों का निष्ठा से पालन करने के लिये सहमत हूँ/हैं।
- (2) मैं/हम, अपने व्यापार के कार्य संचालन के संबंध में आवश्यक सभी अभिलेख और जानकारी रखने तथा जो भी जानकारी तथा दस्तावेज, उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिये अपेक्षित की जावेगी, प्रस्तुत करने के लिये सहमत हूँ/हैं।
- (3) मैं/हम, ऑनलाइन व्यापारियों द्वारा ई-प्लेटफार्म के उपयोग के लिये मण्डी समिति को फीस के खर्चे या उत्तरदायित्व में देय राशि का पूरा व समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिये सहमत हूँ/हैं।
- (4) मैं/हम, बोर्ड का ऑनलाइन व्यापार की वैध अनुज्ञप्ति नहीं रखने वाले या अवैध व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को व्यापार करने के लिये ई-प्लेटफार्म का उपयोग करने की अनुमति नहीं देने के लिये सहमत हूँ/हैं।
- (5) मैं/हम मध्यप्रदेश राज्य में किसी भी मण्डी समिति में किसी अपराध या दुर्व्यवहार का दोषी नहीं रहा हूँ/नहीं रहे हैं।
- (6) मैं/हम, नियम, 5 के उपनियम (2) में विवरणित पात्रता मापदण्ड का पूर्णरूप से पालन करूंगां/करेंगे और एतद्वारा दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है, -
 - (क) नियम 5 के उपनियम (2) के लिये प्रमाण:
 - (ख) नियम 5 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) के लिये प्रमाण:
 - (ग) नियम 5 के उपनियम (2) के खण्ड (ग) के लिये प्रमाण:
 - (घ) नियम 5 के उपनियम (2) के खण्ड (घ) के लिये प्रमाण:
 - (ङ) नियम 5 के उपनियम (2) के खण्ड (ङ) के लिये प्रमाण:

- (7) मैं, हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे अनुज्ञप्ति देने से इंकार कर दिया गया है, भागीदार नहीं हैं।
- (8) मैंने/हमने, इस अनुज्ञप्ति के लिये उससे केवल लाभ अर्जित करने के लिये आवेदन नहीं किया है।
- (9) मैं/हम, नियम, 5 के उपनियम (14) में विवरणित किए गए अनुसार केवल "कारोबार खर्च" प्राप्त करूंगा/करेंगे और नियम 5 में विवरणित सभी शर्तों और निर्बन्धनों का/के पालन के लिए एकमात्र उत्तरदायी रहूंगा/रहेंगे।
- (10) मैंने/हमने, अभी तक किसी मण्डी समिति के स्वस्थ और सुचारु कार्य संचालन के लिये कोई विघ्न उत्पन्न नहीं किया है या (मैं/हम) किसी व्यक्ति के साथ अशोभनीय या कपटपूर्वक कारोबार में सन्निहित नहीं रहा हूँ/रहे हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर

1- नाम :-

पता :-

हस्ताक्षर :-

2- नाम :-

पता :-

हस्ताक्षर :-

प्ररूप-ग-एक
(नियम 5 देखिए)

मध्यप्रदेश राज्य में प्रांगण में ई-प्लेटफार्म परिचालन के लिये अनुज्ञप्ति

ई-प्लेटफार्म अनुज्ञप्ति एतद्वारा श्री/मेसर्स.....
.....(नाम)..... पता.....
.....(दूरभाष नम्बर)..... को फीस रूपये.....के भुगतान पर,
जो इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है, प्रदेश में परिचालन करने के लिये 31
मार्च(वर्ष) तक वैध, "मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972(कमांक
24 सन् 1973) तथा "मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (ऑनलाइन व्यापार एवं ई-प्लेटफार्म
अनुज्ञप्ति) नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों पर मंजूर की
जाती है, अर्थात् :-

- (1) अनुज्ञप्तिधारी को उक्त अधिनियम, नियमों और उपविधियों द्वारा आबद्ध रहना होगा।
- (2) यह अनुज्ञप्ति अहस्तान्तरणीय है।
- (3) यह अनुज्ञप्ति उक्त अधिनियम, और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार निलम्बित या रद्द की जा सकेगी।
- (4) इस अनुज्ञप्ति के निलम्बन या निरस्तीकरण की दशा में यह प्रबंध संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को समर्पित की जाएगी।
- (5) अनुज्ञप्तिधारी प्रदेश में प्रबंध संचालक द्वारा प्राधिकृत किये अनुसार अंकित किए गए किसी भी प्रांगण में ई-प्लेटफार्म के रूप में व्यवसाय करेगा।
- (6) अनुज्ञप्तिधारी, नियम-5 में विस्तरित समस्त शर्तों ओर निर्बन्धनों का पालन सुनिश्चित करेगा और अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और उपविधियों के उपबंधों का कठोरता से पालन करेगा।

- (7) अनुज्ञप्तिधारी घोषित कृषि उत्पादों के विपणन के संबंध में विवाद में, अपने विवाद, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) तथा तदाधीन निर्मित नियमों और उपविधियों में दिये गये तरीके से संदर्भ में उल्लेख करेगा।

स्थान :

दिनांक :

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण :

अनुज्ञप्ति की दिनांक :

नवीनीकरण की कालावधि :

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

क्र. डी-15-45-2016-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव.

NOTICE

Bhopal, the 21st October 2016

No. D-15-45-2016-XIV-3.— The following draft of rules which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (vi) of sub-section (2) of Section 79 read with Section 32-A of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) is hereby published as required by sub-section (1) of section 79 of the said Adhiniyam for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of rules will be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of rules on or before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT OF RULES**CHAPTER-I**

1. **Short title and commencement,-** These rules will be called "**Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Online Trading and E-platform Licence) Rules, 2016**" and shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.
2. **Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973);
 - (b) "Additional Director" means Additional Director of the Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board appointed under the Act;
 - (c) "Assaying" means the qualitative or/and quantitative analysis of notified agricultural produce against set of parameters as may be specified by the State Government from time to time.

- (d) "Authority or officer" means such authority or officer as may be appointed by the State Government to grant or renew the Online trading Licence under the Act;
- (e) "Board" means the Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board, established under the Act;
- (f) "Commercial transaction" means any transaction made by traders for sale, purchase, processing for ancillary sale, purchase or storage or sale to consumers of agricultural produce within the market yard or out of market yard, within the market area or out of market area, within the state or out of the State, in which the payment of market fees has already been made to any market committee of the State and information pertaining to payment of market fees has been submitted to concerned market committee in prescribed form;
- (g) "Deputy Director" means Deputy Director of the Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board appointed under the Act;
- (h) "Director" means the Director and includes the "Managing Director" of the Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board appointed under the Act;
- (i) "Electronic-platform" (E-platform) means a corporate entity which can sue and be sued acting as a market functionary as defined in clause (j) of section 2 of the Act and is engaged in conducting e-trading including e-auction and providing its ancillary services e.g. assaying, warehousing and logistics, Data Centers Service, software services etc., for the market functionaries as per the provisions of Section 37 of the Act for discovering the price of notified agricultural commodities. Such an entity is hereby termed as market functionary as per section 31 of the Act, to provide services for discovering the price of notified agricultural commodities as per the rules and bye-laws made thereunder;
- (j) "e-platform Licence" means the Licence issued under section 32-A of the Act, by the notified authority to a market

functionary engaged in conducting of e-trading including e-auction and its ancillary services for price discovery of notified agricultural commodities;

- (k) "Form" means form appended to these rules;
- (l) "Joint Director" means Joint Director of the Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board appointed under the Act;
- (m) "Market Committee" means the market committee constituted under Section 11 which has been vested with full power to control the marketing of agricultural produce in the declared specified market area or within the state for online trading Licence holder market functionary under Section 32-A;
- (n) "Misconduct" means willfully not to receive or refuse to receive information sent by State Government, Managing Director, Collector or authorized officer, Deputy Director, Market Committee or disobey the order/direction issued by Board, Managing Director or the authorized officer, market committee or non-submission of required information in the time limit or submission of incomplete or incorrect information;
- (o) "Online Market" means a market where the trade of notified agricultural produce takes place on an electronic platform (e-platform) provided by either the market committee and or Board's E-Platform Licensee;
- (p) "Online trading" means trade in notified agricultural produce between seller and Licensee buyer, through e-platform, subject to the following;
- (1) All such trade shall be based on pre-defined and displayed specifications, specifying the quality parameters, including discount and premium for variation in such parameters, terms and conditions of weightment, warehousing, delivery and payments of charges and levies etc.

- (2) All such trade at the end of the day shall result into compulsory weighment, physical delivery to the buyer and or his representative and payment of the produce.
- (3) No carry forward of positions shall be permitted.
- (q) "Online trading Licence" means the Licence issued by the notified authority or officer under sub-section (2) of Section 32-A for the business of notified agricultural commodities;
- (r) "Secretary" means the Secretary of the Market Committee;
- (s) "Section" means a section of the Act;
- (t) "Sampling" means an act of drawing a representative sample from the lot of notified agricultural commodities;
- (u) "Transaction charges" means charges collected from the Online trading buyer on the value of notified agricultural commodity sold through the electronic platform at such rates as may be fixed by the Board from time to time subject to a minimum rate of five paise and a maximum of twenty paise for every one hundred rupees price;
- (v) "Yard" means all the notified area and market yards of market committees in the state.
- (2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

CHAPTER- II

3. Authority.-

- (1) The Managing Director, Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board is hereby appointed to be the Authority for the purpose of granting, renewing or refusing to grant online trading Licence,

e-platform Licence and is authorised to delegate his authority to the subordinate officers.

- (2) Any person desiring to operate as trader of notified agricultural produce in the Yard in the state using electronic platform under Section 32-A of the Act, and or provide service for price discovery, material accounting, trade fulfillment and online funds settlement through e-platform shall have to obtain Licence from the authority/officer.

CHAPTER - III

ISSUE OF ONLINE TRADING LICENCE

4. Grant of traders Licence to operate in the Yard in the State.-

- (1) Any person desiring to obtain Online trading Licence as per sub-rule (2) of rule 3 shall have to apply to the Managing Director or the officer authorized by him for grant of Licence in Form A with the information mentioned in the the said form along with a fee of Rs 500/- (Rupees five hundred only) per annum. If the applicant is having valid trading Licence of any APMC in the State, then the fee to be deposited with the application would be Rs. 100/- (Rupees one hundred only) per annum and the application has to be submitted in Form A-1.
- (2) The applicant shall submit, along with application security of, value of their maximum purchase intended in one day, in the form of Bank Guarantee drawn from a nationalized bank and presentable for honoring at the said Bank's branch in Bhopal, Madhya Pradesh.
- (3) The Managing Director or the officer authorized by him on receipt of such application, complete in all respects, together with the required information, documents and fee may grant a Licence in Form-B to the applicant within seven working days from the receipt of application for carrying out trade in the Yard in the State using electronic platform. Online Trading Licence shall be mandatory to participate in e-auction through e-platform.
- (4) The Licence fee so received shall be remitted to the State Marketing

Development Fund.

- (5) The Licencee shall have to pay market fee and other cess, fee on the purchase of notified agricultural produce made in the respective market areas to the concerned market committees as per the provisions of the Act, bye-laws and the directives of the State Government.
- (6) A Licence granted under these rules unless renewed or cancelled/terminated shall remain in force till the validity of the Licence period, not exceeding ten years.
- (7) Every application for renewal of Licence shall be made before one month of the expiry of its period. For renewal of Licence, all the necessary procedures specified in sub rule (1), (2) and (3) of rule 4 shall be carried out by the notified authority or the officer authorized by him.
- (8) If the application for renewal in Form-A is made in accordance with sub-rule (7), the applicant shall be deemed to be duly Licenced until orders are passed on the application.
- (9) The Managing Director or the officer authorized by him may after giving the applicant an opportunity of being heard for reasons to be recorded in writing, refuse to grant a Licence to any person who is either not solvent or otherwise disqualified under the Act or the rules or bye-laws or whose operations in the market area and or State are not likely to further the efficient working of the market.
- (10) On grant of Licence, the applicant shall execute an undertaking in Form submitted with application, agreeing to conform to the Act, Rules, bye-laws and the directions issued from time to time.
- (11) Suspension or Cancellation of Online trading Licence.-
 - (a) The online trading Licence may be suspended or cancelled by the notified authority or officer, if the Licence holder:-
 - (i) has obtained Licence through willful misrepresentation or fraud or any person acting on his behalf, commits a breach or contrivance any of the terms or condition of the Licence; or

-
- (ii) in collusion with other Licence holders committing any act by which the marketing of any produce has been abstained, suspended or stopped; or
 - (iii) has become insolvent; or
 - (iv) has been proved guilty for misconduct under the Act, rules and bye-laws; or
 - (v) behaves against the interest of any market committee, farmers, Board; or
 - (vi) has been proved guilty by the Court, Managing Director or the market committee under the rules and by-laws; or
 - (vii) has not made payment of due market fees, *Nirashrit Shulk* within the maximum period of 30 days together with the interest; or
 - (viii) has not made payment to the farmers/sellers of the market area of the agricultural produce, purchased from them within the prescribed period; or
 - (ix) has made default in payment by not depositing due amount with the Board or market committee within the period mentioned in the notice/demand note; or
 - (x) has not submitted prescribed periodical returns in the Board or office of the market committee, as the case may be within the prescribed time limit; or
 - (xi) has acted against the interests of the Board or the market committee; or "
 - (xii) has engaged unauthorized persons for weighment or hammali of notified agricultural produce; or
 - (xiii) has been found involved in weighing the seller's agricultural produce less than the actual weight and causing loss to him:

Provided that before suspending or cancelling any Licence reasonable opportunity of minimum fifteen days of being heard shall be given to the Licence holder by the notified authority or the officer authorized by him. If within the prescribed time limit the reply of the show-cause notice is not given by the Licence holder it shall be deemed that the Licence holder has agreed with the charges shown in show-cause notice and the notified authority or the officer authorized by him shall have the power to take the exparte decision.

The information relating to the order to refuse to grant/renew the Licence or information relating to suspension or cancellation of Licence shall be given to the concerned person/firm/ company/ society, by the notified authority or the officer authorized by him in the following manner:-

- (a) by registered post to his registered office; or
- (b) by delivery to his authorized representative.

5. Grant of electronic-platform (e-platform) Licence to operate in the Yard in the State.-

- (1) Any person desiring to obtain e-platform Licence as per sub-rule (2) of rule 3 shall have to apply to the Managing Director for grant of Licence in Form-C with the information mentioned in the the said form along with a fee of Rs 5,000/- (Rupees five thousand only) per annum.
- (2) Eligibility criteria for the Licencee shall be as under,-
 - (a) The applicant shall be a Company registered under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) for the last three years, and inter-alia should be in the business of providing electronic auctioning services for notified agricultural produce to State Agricultural Marketing Board's/APMCs/PSU and for the said service alone should have atleast total turnover of Rs Five crore during the immediate two financial years. (Self attested copies of audited balance sheet and profit and loss account of

immediate past two years to be submitted with the application);

- (b) The applicant should be recognized for providing e-auctioning platform for notified agricultural produce and should have successfully completed atleast 2500 e-auctions during immediate two financial years with total (auction) value greater than Rs 500/- crore (Rs five hundred crore) from all such e-auctions. (self attested copies of relevant documents to be submitted with the application).
- (c) The applicant should be single entity. Consortiums are not eligible to apply. The applicant should not have been blacklisted or debarred by Central Government/State Government/ other Government Bodies or under a declaration of ineligibility for corrupt or fraudulent practices. (self attested certificate to the effect is to be submitted with the application).
- (d) The applicant should be certified for ISO 27001 and should have it's own Domain, e-auction related software and own data center/should have arrangements for Tier-3 data center (approved by the Government of India). The e-auctioning related software should be designed, developed and owned by the applicant itself and should be compliant of e-Auction's portal, IT Act, guidelines issued by Central Vigilance Commission (CVC), Deity (Department of Electronics and Information Technology), Madhya Pradesh Krishi Upaj mandi Adhinyam, 1972 (No. 24 of 1973) and other regulatory bodies for forwarding e-auctioning process. (Self attested copies of relevant documents to be submitted with the application).
- (e) The applicant shall not have any equity and or any partnership with the Online Trading Licencee and directly and or indirectly shall not purchase the notified agricultural produce.
- (3) The applicant shall submit, along with application performance security of value Rs 50,00,000/- (Rs fifty lacs) in the form of Bank Guarantee drawn from a nationalized bank and presentable for honoring at the said Bank's branch at Bhopal, Madhya Pradesh. This performance security would be revised after one year of operation to a

minimum of Five percent of the total online trade accomplished through the e-platform of the Licencee and or minimum of Rs 75,00,000/- (Rs seventy five lacs), whichever is more.

- (4) The Managing Director on receipt of such application, complete in all respects, together with the required information, documents and fee may grant a Licence in Form-C-1 to the applicant within twenty working days from the receipt of application for establishing the infrastructure in the Yard in the State.
- (5) The Licence fee so received and in case of forfeiting of performance security, the amount shall be remitted to the State Marketing Development Fund.
- (6) The Licencee shall have to establish his own infrastructure for e-auction in the Yard in the state and deploy manpower for online trading and to provide the allied services i.e assaying, warehousing and logistics etc. Mandi Committee shall provide Licencee suitable office space on the rent decided by the District Collector. Electricity charges on actual use basis shall be paid by the Licencee to the mandi committee. Licencee shall be responsible for safety of their hardware, furniture, fixtures, equipments, manpower etc.
- (7) Only, Online Trading Licencee under these Rules, would be entitled to participate for trading through e-platform and this shall be strictly complied by the e-platform Licencee. Further, only after successful completion of trade i.e. physical delivery of commodities and payment of all fee/levies/charges etc. as well as the amount to the seller etc., the Online Trading Licencee shall be eligible to enter into "Commercial transaction" with any other Online Trading Licencee for the commodities which has been purchased by them through e-auction in the Yard in the State using e-platform.
- (8) Licencee shall provide assaying service to the seller and or warehousing and logistics service to the buyer having Online Trading Licence, for which the service charges being charged has to agreed upon between the Licencee and the seller/buyer in advance (i.e. before the commencement of e-auction) and displayed on the e-auction portal as well as on the sale agreement (anubandh patrak) entered between the seller/buyer and the Licencee. The said service charges shall be received by the Licencee from the seller/Buyer for the related services

(assaying and or warehousing and logistics etc.) provided for the spot trading on e-platform.

- (9) Licencee shall ensure and shall be solely liable for, that all accrued/due market fee and other cess, levies, charges on the purchase of notified agricultural commodities, is made to the concerned market committee as per the provisions of the Act, bye-laws and the directives of the State Government.
- (10) A Licence granted under this rule unless renewed or cancelled/terminated shall remain in force till the validity of the Licence period, not exceeding ten years.
- (11) Every application for renewal of Licence shall be made one month before the expiry of its period. For renewal of Licence, all the necessary procedures specified for granting the new Licence, shall be carried out by the authority.
- (12) If the application for renewal in Form-C is made in accordance with sub-rule (10) of rule 5, the applicant shall be deemed to be duly Licenced until orders are passed on the application.
- (13) The Managing Director may after giving the applicant an opportunity of being heard for reasons to be recorded in writing refuse to grant a Licence to any person who is either not solvent or otherwise disqualified under the Act or the rules or by-laws or does not fulfill the criteria laid down or whose operations in the market area and or State are not likely to further the efficient working of the market.
- (14) On grant of Licence, the applicant shall execute an undertaking in Form submitted with application, agreeing to conform to the Act, rules, bye-laws and the directions issued from time to time.
- (15) Licencee shall be entitled to charge and receive "Transaction Charges" (which would be exclusive of service taxes and other statutory levies if any and the same would be over and above the Transaction charges, however Income Tax payable by the Licencee shall not be part of statutory levies.) from the buyer having Online Trading Licence, which shall be payable only on trading resulted in payment of all due cess/fee, purchase amount to the seller and physical delivery of notified agricultural commodities to the buyer.

- (16) The Licencee shall be solely responsible for implementation services, which shall include customization of Electronic Platform, building additional capabilities in the Electronic Platform as intimated by the Board, training of market personnel, online trading Licencees, farmer and other participants, supporting the Board, Market committees in every manner to adopt the e-platform and all such activities for the market committee to deploy the e-platform in its operations.
- (17) Licencee shall also be responsible for.-
- (a) Diligently carry out system administration, system upgrades management, application deployment and upgrades;
 - (b) Maintain and manage the Operating System, Data Base Management System, Network and Security administration system;
 - (c) Regularly back up and preserve data in a manner that it deems it appropriate;
 - (d) Properly handle the application failure within the primary data centre and the disaster recovery site;
 - (e) Maintain multiple security zones in the data centre;
 - (f) Maintain documentation of physical and network security devices, processes and policies;
 - (g) Maintain infrastructure management tools and reports;
 - (h) Maintain incident and fault reports tracking;
 - (i) Maintain an asset register with end of support and end of life particulars and track the same;
 - (j) Monitor data lines between the Markets and the data centre;
 - (k) Monitor Internet connectivity, including liaising with network service provider for line faults, provisioning of new lines, and related matters; and

The following Recovery Point Objectives shall be applicable.-

- (a) In case of failure in the primary data centre – There shall be no loss of completed transactions; and
 - (b) In case of failure of the disaster recovery facility – There shall be no loss of trade and settlement data.
- (18) The number of modifications or enhancements to the e-platform that can be asked for by Board shall not be subject to any limitation. Further, in the event that a similar electronic platform is adopted by any other state or made available by the Government of India to the State and or States, then the Board may after obtaining the statutory consent from such State and or Government of India as the case may be, direct the Licencee to provide access to such other electronic platform through Licencee's e-platform so as to enable -
- (a) The online trader and farmer in the State of Madhya Pradesh to offer his notified commodities for sale through such other electronic platform in addition to the Licencee's e-platform and
 - (b) The online trading Licencee buyer in such other electronic platform to bid for the notified commodities offered for sale in the Licencee's e-platform,
- (19) Licencee shall ensure that the following prescribed performance levels for the e-platform is maintained.
- (a) Peak Capacity per Market – 20000 lots per day.
 - (b) Average capacity per Market – 800 lots per day.
 - (c) Concurrent users – 5000.
 - (d) Response time on LAN – less than 2 seconds.
 - (e) Batch processes – Not more than 10 minutes for all batch processes.
 - (f) Recovery Point Objective for failure in the primary data

centre – no loss of completed transactions.

- (g) Recovery Point Objective for failure of the disaster recovery facility – no loss of trade and settlement data. Order and lots data may be lost for yard lots.
- (h) Recovery Time Objective for failure in the primary data centre – Ten minutes.
- (i) Recovery Time Objective for failure of the disaster recovery facility – before the commencement of Business Hours of the next Business Day.

Note :- The performance levels as detailed above are only indicative. Based on experience, Licencee shall be in readiness to handle peak capacity and users that may be more than the above.

- (20) Licencee shall establish a state level office at Bhopal, Madhya Pradesh and site office in the market yard along with the necessary infrastructure within a maximum period of thirty days from the Licence being granted. Further, Licencee, in writing shall intimate i.e. address, phone number, fax number, e-mail etc. about their State office, to the Managing Director, and regarding the site office to the Joint Director, Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board, (concerning) Regional Office and the Secretary, Market Committee.

- (21) Suspension or Cancellation of e-platform Licence.-

- (a) The e-platform Licence may be suspended or cancelled by the notified authority, if the Licencee holder-
 - (i) has obtained Licence through willful misrepresentation or fraud or any person acting on his behalf, commits a breach or contrivance any of the terms or condition of the Licence; or
 - (ii) in collusion with other Licence holders committing any act by which the marketing of any produce has been abstained, suspended or stopped; or

- (iii) has become insolvent; or
- (iv) has been proved guilty for misconduct under the Act, rules and bye-laws; or
- (v) behaves against the interest of any market committee, farmers, Board; or
- (vi) has been proved guilty by the Court, Managing Director or the market committee under the rules and bye-laws; or
- (vii) has not ensured the payment of due market fees, *Nirashrit Shulk* within the maximum period of 30 days together with the interest; or
- (viii) has not ensured the payment to the farmers/sellers of the market area of the agricultural produce, purchased from them within the prescribed period; or
- (ix) has made default in payment by not depositing due amount with the Board or market committee within the period mentioned in the notice/demand note; or
- (x) has not submitted prescribed periodical returns in the Board or office of the market committee, as the case may be within the prescribed time limit; or
- (xi) has acted against the interests of the Board or the market committee; or "
- (xii) has engaged unauthorized persons for weighment or hammali of notified agricultural produce; or
- (xiii) has been found involved in weighing the seller's agricultural produce less than the actual weight and causing loss to him; or
- (xiv) has been declared defaulter or debarred by the Central Government/State Government/Government PSUs and or has ceased to conform the laid down eligibility criteria:

Provided that before suspending or cancelling any Licence reasonable opportunity of minimum fifteen days of being heard shall be given to the Licence holder by the authority or officer. If within the prescribed time limit the reply of the show-cause notice is not given by the Licence holder it shall be deemed that the Licence holder has agreed with the charges shown in show-cause notice and the authority/officer shall have the power to take the exparte decision.

The information relating to the order to refuse to grant/renew the Licence or information relating to suspension or cancellation of Licence shall be given to the concerned person/firm/company/society, by the authority in the following manner-

- (a) by registered post to his registered office; or
- (b) by delivery to his authorized representative.

- (22) Issuing of e-platform Licence in no way whatsoever, prohibit the mandi committee to have and operate its own e-platform, State Government owned e-platform, Central Government and or Government owned PSUs e-platform, continue auction of notified agricultural produce as per the provisions of Act, as well as the notified authority to issue e-platform Licence to more than one person in the State.
- (23) In the event of termination and or cancellation of Licence and or term completion of Licence period, it would be obligatory on the Licencee to hand over all the reports, data and related information to the market committee and Board in hard copies as well as in soft copy.

6. **E-platform,-**

- (1) The Managing Director shall specify notified agricultural commodities and the mandi committee where the sale price of such notified agricultural commodities in such market areas shall be determined by an electronic platform as the Managing Director may direct in this behalf.

- (2) The Managing Director may specify one or more of the following in respect of notified agricultural commodities and markets specified under sub-rule (1), namely, -
- (i) quality testing of notified agricultural commodities, grading, quality certification and standardization of notified agricultural commodities;
 - (ii) weighing the commodities before and after the sale;
 - (iii) storing the notified agricultural commodities in warehouses in the market area and sale of such stored commodities;
 - (iv) payment of price of the notified agricultural commodities by the Online traders;
 - (v) procurement and disposal of notified agricultural commodities through electronic platform;
 - (vi) compensation to the seller in case of default by the online trader;
 - (vii) market intelligence;
 - (viii) any other matter, which in the opinion of the managing Director is necessary for giving effect to sale of notified agricultural commodities through electronic platform.

A service level agreement shall be entered into with the e-platform Licencee by the Managing Director specifying the terms and conditions of providing the electronic platform and other services for the market notified under Rule-6, which shall be binding on the e-platform Licencee.

7. Settlement of disputes relating to online trading and markets:

Notwithstanding anything contained in these rules, the bye-laws of the market committee shall prevail for settlement of disputes in respect of transactions in notified agricultural commodities.

8. Disposal of Performance Security.-

- (1) The amount due to the sellers for their produce and other amount due to the market committee if not paid by the e-platform Licence holder, shall be recovered together with the interest by the authority or the officers authorized by him from the Bank Guarantee furnished as security. The remaining amount of security deposit in the form of Bank Guarantee shall be released if demanded by the Licence holder, after obtaining no demand/no dues certificate from the secretary market committees.
- (2) If the Licence holder desires to surrender the Licence, then the authority after proper enquiry, may take decision to refund or not to refund or to refund partly, the performance security amount deposited. The decision of the authority shall be final and be binding upon the Licencee.

CHAPTER-IV**APPEAL**

9. Any person aggrieved by order of refusal to grant Online trading Licence/ e-platform Licence or its suspension/cancellation, may prefer an appeal to the State Government within 30 days from the date of receipt of order and the order passed by the State Government, after giving reasonable opportunity of being heard, shall be final.

CHAPTER-V**OTHER CONDITIONS**

10. **Submission of returns by the holder of online trading and e-platform Licence,-**

All returns as per the provisions of the bye-laws will have to be submitted by the Licence holder to the market committee/ notified authority and or the officers authorised by him who may also ask for additional information/reports pertaining to auctions carried out using the e-platform and the same has to be provided by the Licencee.

FORM - A**(See Rule 4)****Application for obtaining /renewal of Online trader's Licence
for operating in the Yard in the State of Madhya Pradesh**

To,
The Managing Director,
M P State Agricultural Marketing Board
Bhopal

Sir,

I/We.....(Name).....
.....(Address).....am/are making an application for a
Licence for operating as a Online trader in the Yard in the State.
I/we agree to pay the necessary Licence fee of Rs. 500/- per annum
as per rule for obtaining/renewal of the above mentioned Licence
for a period ofyears (not exceeding ten years).

Along with this application, I am enclosing the following documents,
namely:-

- (1) Solvency Certificate
- (2) Bank Guarantee [see Rule 4(2)]
- (3) Bank details:
Name of the bank, type of bank account,
Account number, name of the branch, IFSC
Code etc., (certificate from the concerned bank
to be furnished)
- (4) PAN
- (5) CST registration
- (6) VAT registration
- (7) Proof of address
- (8) Status of the applicant Individual/partnership
firm/company/society.

Declaration

- (1) I/We agree to abide by the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) and rules and bye-laws made thereunder and amendments made to it from time to time and the directions or orders issued by the Managing Director and or his authorised officer and or Secretary, Market Committee from time to time.
- (2) I/We agree to keep all the necessary records and information about the functioning of our business and to co-operate to produce whatever information and document will be asked for inspection by the appropriate authority.
- (3) I/We agree to pay whatever charges of fees or amounts liable and due from me/us legally.
- (4) I/We agree not to do business with persons doing illegal business and will co-operate in taking legal action against such persons.
- (5) I/We have not been guilty of any offence or misconduct in any of the market committees in the State of Madhya Pradesh.
- (6) I/We am not a partner with any person to whom a Licence has been refused.
- (7) I/We have not applied for this Licence just to avail of advantages accruing therefrom.
- (8) I/We have not caused any disturbance hitherto for the smooth and healthy functioning of any market committee or entered into any disreputable or fraudulent transaction with any person in the State.

Signature of the Applicant

1. Name:

Address

Signature:

2. Name

Address:

Signature

FORM - A-1**(See Rule 4)****Application for obtaining /renewal of Online trader's Licence
for operating in the Yard in the State of Madhya Pradesh**

To,
The Managing Director
M P State Agricultural Marketing Board
Bhopal

Sir,

I/We.....(Name).....(Address).....am/are making an application for a Licence for operating as a Online trader in the Yard in the State. I am a Licencee trader of APMC....., District..... having Licence number..... which is valid till/.../..... I/we agree to pay the necessary Licence fee of Rs. 100/- per annum as per rule for obtaining/renewal of the above mentioned Licence for a period ofyears (not exceeding ten years).

Along with this application, I am enclosing the following documents, namely:-

- (1) Solvency Certificate
- (2) Bank Guarantee [see rule 4(2)]
- (3) Bank details:

Name of the bank, type of bank account,
Account number, name of the branch, IFSC
Code etc., (certificate from the concerned bank
To be furnished)

- (4) PAN
- (5) CST registration
- (6) VAT registration
- (7) Proof of address
- (8) Status of the applicant Individual/partnership/ firm/ company/
society

Declaration

- (1) I/We agree to abide by the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) and rules and bye-laws made thereunder and amendments made to it from time to time and the directions or orders issued by the Managing Director and or his authorised officer and or Secretary, Market Committee from time to time.
- (2) I/We agree to keep all the necessary records and information about the functioning of our business and to co-operate to produce whatever information and document will be asked for inspection by the appropriate authority.
- (3) I/We agree to pay whatever charges of fees or amounts liable and due from me/us legally.
- (4) I/We agree not to do business with persons doing illegal business and will co-operate in taking legal action against such persons.
- (5) I/We have not been guilty of any offence or misconduct in any of the market committees in the State of Madhya Pradesh.
- (6) I/We am not a partner with any person to whom a Licence has been refused.
- (7) I/We have not applied for this Licence just to avail of advantages accruing there from.
- (8) I/We have not caused any disturbance hitherto for the smooth and healthy functioning of any market committee or entered into any disreputable or fraudulent transaction with any person in the State.

Signature of the Applicant

Name:

Address

Signature:

Name

Address:

Signature

FORM B**(See Rule 4)****Licence for operating as Online Trader in the Yard in the State of Madhya Pradesh**

Online Trading Licence is hereby granted
 (Name) (Address)
 (Phone No.) here in after referred to as the
 Licencee on payment of fee of Rs..... **for operating in the
 Yard in the State, valid up to 31st March.....(year)** subject to
 the provisions of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi
 Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), and the "Madhya Pradesh Krishi
 Upaj Mandi (Online Trading and E-platform Licence) Rules, 2016",
 on the following conditions, namely:-

- (1) The Licencee shall abide by the provisions of the said Act, Rules and bye-laws.
- (2) This Licence is not transferable.
- (3) This Licence may be suspended or cancelled in accordance with the provisions of the said Act and rules made thereunder.
- (4) In the event of suspension or cancellation of this Licence, it shall be surrendered to the Managing Director and or the officer authorized by him.
- (5) The Licencee shall carry on business as a online trader in any Yard in the State.
- (6) The Licencee shall pay market fees as prescribed in the bye-laws, to the concerned Agricultural Produce Market Committee.
- (7) The Licencee shall not adulterate or cause any declared agricultural produce to be adulterated.
- (8) The Licencee shall help the Managing Director and Secretary, Market Committee in preventing evasion of market fees.
- (9) The Licencee after grant of Licence shall within a period of fifteen days inform about the authorized representative of the Licencee who shall be responsible on his behalf.

- (10) The Licencee shall maintain books, register and record in the manner required by the Managing Director and Secretary, Market Committee as per rule 10 and bye-laws and shall make them available for inspection to Managing Director and Secretary, Market Committee or officer authorized by him.
- (11) The Licencee shall furnish information and returns to the Managing Director and Secretary, Market Committee or officer authorized by him as per rule 10 and bye-laws from time to time.
- (12) The Licencee shall settle the price and make the payment of agricultural produce in the manner provided for under the bye-laws of the Market Committee and shall issue account slips or purchase bills according to the provisions of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhinyam, 1972 (No. 24 of 1973) and the rules and bye-laws made thereunder.
- (13) The Licencee shall not solicit or receive any fee or recover any charge.
- (14) The Licencee shall not make or recover any trade allowance.
- (15) The Licencee shall use at his cost only authorized weights and measures wherever required.
- (16) The Licencee shall ensure compliance of all terms and conditions detailed in Rule-4 and diligently comply with the provisions of the Act, Rules and bye-laws made thereunder.
- (17) The Licencee shall refer his disputes in relation to the marketing of the declared agricultural commodities in the manner provided under the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhinyam, 1972 (No. 24 of 1973) and the rules and bye-laws made thereunder.

Place:

Date:

Managing Director
M.P State Agricultural Marketing Board
Or the officer authorized by him

FORM - C**(See Rule 5)****Application for obtaining /renewal of E-Platform Licence for operating in the Yard in the State of Madhya Pradesh**

To,
 The Managing Director
 M.P. State Agricultural Marketing Board
 Bhopal

Sir,

I/We..... (Name)
 (Address).....am/are making an application for a
 Licence for operating e-platform in the Yard in the State. I agree to
 pay the necessary Licence fee of Rs. 5,000/- per annum as per rule
 for obtaining/renewal of the above mentioned Licence for a period of
years (not exceeding ten years).

Along with this application, I am, enclosing the following documents, namely:-

- (1) Solvency Certificate
- (2) Bank Guarantee [see Rule 5(3)]
- (3) Bank details:

Name of the bank, type of bank account,
 Account number, name of the branch, IFSC
 Code etc., (certificate from the concerned bank
 to be furnished)

- (4) PAN
- (5) CST registration
- (6) VAT registration
- (7) Proof of address
- (8) Status of thee applicant Individual/partnership firm/company

Declaration

- (1) I/We agree to abide by the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhinyam, 1972 (No. 24 of 1973) and rules and bye-laws made thereunder and amendments made to it from time to time and the directions or orders issued by the Managing Director and or his authorised officer and or Secretary, Market Committee from time to time.
- (2) I/We agree to keep all the necessary records and information about the functioning of our business and to co-operate to produce whatever information and document will be asked for inspection by the appropriate authority.
- (3) I/We agree to ensure full and time bound payment to market committee of whatever charges of fee or amounts liable to be paid by the online Licencee traders for use of e-platform.
- (4) I/We agree not to allow use of e-platform for doing business by persons not having valid online trading Licence of the Board and or by the persons doing illegal business and will fully co-operate in taking legal action against such persons.
- (5) I/We have not been guilty of any offence or misconduct in any of the market committees in the State of Madhya Pradesh.
- (6) I/we fully comply with the eligibility criteria detailed in sub-rule (2) of sub-rule (14) of Rule 5 and herewith submit documentary proof, details of which are as under,-
 - (a) Proof for clause (a) of sub rule (2) rule 5:
 - (b) Proof for clause (b) of sub rule (2) rule 5:
 - (c) Proof for clause (c) of sub rule (2) rule 5:
 - (d) Proof for clause (d) of sub rule (2) rule 5:
 - (e) Proof for clause (e) of sub rule (2) rule 5:
- (7) I/We am/are not a partner with any person to whom a Licence has been refused.

- (8) I/We have not applied for this Licence just to avail of advantages accruing therefrom.
- (9) I/We shall only receive "Transaction Charges" as detailed in Rule 5 Sub rule (14) and shall be solely responsible to comply with all the terms and conditions detailed in Rule 5.
- (10) I/We have not caused any disturbance hitherto for the smooth and healthy functioning of any market committee or entered into any disreputable or fraudulent transaction with any person in the State.

Signature of the Applicant

1. Name:
Address
Signature:

2. Name
Address:
Signature

FORM C-1**(See Rule 5)****Licence for operating E-Platform in the Yard in the State of Madhya Pradesh**

E-platform Licence is hereby granted.....(Name)(Address).....(Phone No.).....here in after referred to as the Licencee on payment of fee of Rs..... **for operating in the Yard in the State, valid up to 31st March.....(year)** subject to the provisions of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) and the "Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Online Trading and E-Platform Licence) Rules, 2016" on the following conditions, namely:-

- (1) The Licencee shall abide by the provisions of the said Act, Rules and bye-laws.
- (2) This Licence is not transferable.
- (3) This Licence may be suspended or cancelled in accordance with the provisions of the said Act and rules made thereunder.
- (4) In the event of suspension or cancellation of this Licence, it shall be surrendered to the Managing Director and or the officer authorized by him.
- (5) The Licencee shall carry on business as a "e-platform" in any designated Yard in the State, as authorised by the Managing Director.
- (6) The Licencee shall ensure compliance of all terms and conditions detailed in Rule-5 and diligently comply with the provisions of the Act, Rules and bye-laws made thereunder.

- (7) The Licencee shall refer his disputes in relation to the marketing of the declared agricultural commodities in the manner provided under the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) and the rules and bye-laws made thereunder.

Place:

Date:

Managing Director
M.P State Agricultural Marketing Board
Or the officer authorized by him

Renewal of Licence

Date of Renewal

Period of Renewal

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY GUPTA, Dy. Secy.